

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभागों की अधिसूचित 600 सेवाओं की सूची

क्र	विभाग	सेवा का नाम	समय-सीमा कार्य दिवस
1	उर्जा विभाग	1.1- (अ) शहरी क्षेत्र - निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है।	U- 11 R- 16
		1.1- (ब) ग्रामीण क्षेत्र - निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है।	
2		1.2- मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना।	U- 10 R- 14
3		1.3 (अ)- जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा. तक के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु मांग पत्र जारी करना।	U- 4 R- 4
		1.3 (ब)-जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 कि.वा.तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना	U- 3 R- 3
4		1.4- जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना।	U- 7 R- 7
5		1.5- जहां वर्तमान निम्न दाब अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरांत निम्न दाब के प्रकरणों में भारवृद्धि करना।	U- 7 R- 7
6		1.6- निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जाँच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/ बदलना।	U- 22 R- 37
7	1.7- निम्नदाब संयोजन के स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण ।	U- 30 R- 30	
8	1.8- निम्नदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शनों की श्रेणी (केटेगरी) में परिवर्तन।	U - 15 R- 21	
	निम्नदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति।	U- 07 R- 10	

9	1.9- उच्चदाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृत पत्र (सेंशान लेटर) प्रदान करना।	7 30
10	1.10- उच्चदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शन के भार में करने की स्वीकृति पत्र (सेंशान लेटर) प्रदान करना।	7 30
11	1.11- (अ)निम्नदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति। (ब) उच्चदाब के वर्तमान में अव्यवस्थित कनेक्शनों के विवरण में बदलाव की स्वीकृति।	15 15
12	1.12- सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैधांतिक स्वीकृति प्रदान करना।	U- 15 R- 60
13	1.13- कॉलोनी के बाह्य विद्युतिकरण के प्राक्कलनों की प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति।	10000 KVA से अधिक 45 10000 KVA से कम 30
14	1.14- बहुउपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्प्लेक्स) के बाह्य विद्युतिकरण के प्राक्कलनों की स्वीकृति।	10000 KVA से अधिक 45 10000 KVA से कम 30
15	1.15- विद्युत अधोसंरचना संबंधित प्राक्कलनों की स्वकृति।	15
16	1.16- अ. मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग हेतु मांग पत्र जारी करना। ब. मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना	U-5 R-10

17	1.17- विवादित बिजली बिल की शिकायत का निराकरण (बिजली चोरी के प्रकरणों को छोड़कर)	U-5 R-10
18	1.18- बकाया राशि का भुगतान उपरांत विच्छेदित कनेक्शन को पुनः संयोजित करना	U-2 R-4
19	1.19- 33 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं के रेखा चित्र का अनुमोदन (भुगतान के पश्चात)	7
20	1.20 - 33 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (Charging Permission) (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं भुगतान के पश्चात)	7
21	1.21 - 100 के.व्हीए से अधिक एवं 500 के.व्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात)	07 दिन
22	1.22 - 100 के.व्हीए से अधिक एवं 500 के.व्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात)	07 दिन
23	1.23 - 500 के.व्हीए से अधिक एवं 5000 के.व्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात)	07 दिन
24	1.24 - 500 के.व्हीए से अधिक एवं 5000 के.व्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात)	07 दिन
25	1.25 - 5000 के.व्हीए से अधिक क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात)	07 दिन
26	1.26 - 5000 के.व्हीए से अधिक क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात)	07 दिन
27	श्रम विभाग 2.1- प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	शहरी क्षेत्र- 10 ग्रामीण क्षेत्र- 10
28	2.2- विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	शहरी क्षेत्र- 15 ग्रामीण क्षेत्र- 15

29	2.3- मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।	शहरी क्षेत्र- 30 ग्रामीण क्षेत्र- 30
30	2.4- निर्माण श्रमिकों का पंजीयन।	शहरी क्षेत्र- 30 ग्रामीण क्षेत्र- 30
31	2.5- निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना।	शहरी क्षेत्र- 30 ग्रामीण क्षेत्र- 30
32	2.6 - दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन।	01
33	2.7- दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण।	01
34	2.8- संविदा श्रम (वि.एवं स.) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति का प्रदाय।	01
35	2.9- संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का प्रदाय।	01
36	2.10- संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति में संशोधन किया जाना।	01
37	2.11- कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6,7 सहपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी किया जाना।	01
38	2.12- (क) कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन किया। (ख) 250 श्रमिक से अधिक का नियोजन (ग) 101 से 250 श्रमिक तक का नियोजन । (घ) 10 से 100 श्रमिक तक का नियोजन ।	01
39	2.13- वाणिज्यिक स्थापनाओं/ मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणिकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण।	01
40	2.14- कारखानों से स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण।	01
41	2.15 - अन्तर्राज्तीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना।	01
42	2.16- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना।	01

43	2.17- भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन का प्रदाय।	01
44	2.18- दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन ।	01
45	2.19- दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन के साथ नवीनीकरण।	01
46	2.20- कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना	01
47	2.21- खतरनाक मशीन (विनयमन) अधिनियम 1983 की धारा 9 से पठित नियम 3 के अंतर्गत खतरनाक मशीन के विनिर्मातों/व्यापारियों को नवीन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण जारी किया	01
48	2.22- बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय	01
49	2.23- बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	01
50	2.24- खिलाडी प्रोत्सहन योजना 2014	30
51	2.25- औजार उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	30
52	2.26- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन अनुदान योजना 2013	30
53	2.27- निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना 2014	30
54	2.28- व्यवसायिक UGPG पाठ्यक्रमो की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	30
55	2.29- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना	30
56	2.30- राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना	30
57	2.31- साइकिल अनुदान योजना 2014	30

58		2.32- संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक को पंजीयन प्रदान किया जाना	01
59		2.33- विवाह सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)	30 दिवस
60		2.34- अंतिम संस्कार सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)	15 दिवस
61		2.35- कल्याणी सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)	30 दिवस
62	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	3.1- विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार।	U- 07 R- 07
63		3.2- विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाईन असेम्बली व सिलेण्डर की गंभीर खराबी का सुधार।	U- 15 R- 15
64		3.3- पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जाँच कर रिपोर्ट देना।	U- 15 R- 15
65		3.4 - ग्रामीण जल प्रदाय योजना से औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता की एन.ओ.सी. / अनुज्ञप्ति	15 कार्य दिवस
66	राजस्व विभाग	4.1- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना।	30
67		4.2- चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	U- 5 R- 5
68		4.3- चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	U- 5 R- 5
69		4.4- भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय।	U- 15 R- 15
70		4.5- भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय।	U- 45 R- 45

71	4.6- वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में) (अ.) रूपये 30 हजार तक के प्रकरण। (ब) रूपये 50 हजार तक के प्रकरण। (स) रूपये 2 लाख तक के प्रकरण।	30
72	4.7- नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।	30
73	4.8- शोध क्षमता प्रमाण-पत्र।	□ (अ) 30 (ब) 45 (स) 45
74	4.9- राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोड़कर) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश/ अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार का प्रदाय करना।	15
75	4.10- अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भूअभिलेख/ राजस्व प्रकरणों/ नक्शो एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना।	15
76	4.11- राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न अपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना।	30
77	4.12- बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन/ तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय।	30

78		4.13- भूमि का सीमांकन करना	45
79		4.14- अविवादित नामांतरण करना	30
80		4.15- अविवादित बंटवारा करना	90
81		4.16- म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परंतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरांत, संहिता की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का पुन निर्धारण किया जाना	30
82		4.17- भूमि बंधक दर्ज करना	3
83		4.18 - भूमि बंधक विमुक्ति दर्ज करना	3
84		4.19 अनियोजित क्षेत्र में कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में व्यपवर्तन	15 कार्य दिवस
85	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	5.1 (अ) जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदाय किया जाना। (ब) मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना।	U- 15 R- 15
86		5.2- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)	U - 30 R- 30
87		5.3- नगरीय क्षेत्रों के हेण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार	U- 7 R- 7

88	5.4- पानी पीने योग्य है या नहीं संबंधी जाँच कर रिपोर्ट देना	U- 10 R- 5
89	5.5- कॉलोनाइजर लायसेंस	30
90	5.6 (1) कॉलोनी विकास अनुज्ञा (ले-आउट) (2) कॉलोनी विकास अनुज्ञा (आंतरिक विकास)	60
91	5.7 भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र	30 30
92	5.8 फायर एन.ओ.सी. (1) आस्थाई (2) नवीनीकरण	30
93	5.9 ट्रेड लाइसेंस	30
94	5.10 नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण (वृक्षों को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसके व्ययन) की अनुज्ञा अभिप्राप्त करना I	30 30 30

95	5.11 नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण नियम में अनुमति प्राप्त वनोपज के लिए अभिवहन पास	30
		30
96	5.12- म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 के अंतर्गत अभिन्यास अनुमोदन	60
97	5.13- भूखंडों का विलयन तथा विभाजन का अभिन्यास अनुमोदन	30
98	5.14- म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29(3) में संशोधन का अभिन्यास अनुमोदन	90
99	5.15 विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार	30
100	5.16- निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्रों में व्यपवर्तन प्रकरणों में अनापत्ति	30
101	5.17 अविवादित संपत्ति का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण)	50 दिवस
102	5.18 अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरांत	50 दिवस
103	5.19- भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना (आवासीय)	15 कार्य दिवस
104	5.20- भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना (व्यावसायिक)	15 कार्य दिवस
105	5.21- भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना (अन्य)	15 कार्य दिवस
106	5.22- अधिकार प्रमाण पत्र (Possession Certificate) जारी करना	10 कार्य दिवस
107	5.23- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	10 कार्य दिवस
108	5.24- डुप्लिकेट आवंटन पत्र जारी करना	10 कार्य दिवस
109	5.25- पुनार्रावंटन प्रमाण पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस
110	5.26- नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना	10 कार्य दिवस
111	5.27- भार मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना	10 कार्य दिवस
112	5.28- दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करना	07 कार्य दिवस
113	5.29- भूखंड के सीमांकन के लिए आवेदन	15 कार्य दिवस
114	5.30- अधिक जमा राशि की वापसी	15 कार्य दिवस
115	5.31- आवंटन आदेश जारी करना	30 कार्य दिवस
116	5.32- साईनेज लाइसेंस (Hoardings)	30 कार्य दिवस
117	5.33- गार्बेज कलेक्शन एवं सीवरेज क्लीनिंग	02 कार्य दिवस

118		5.34- जहाँ तकनिकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय किया जाना	30 कार्य दिवस
119		5.35- सड़क काटने की अनुमति (Road Cutting)	30 कार्य दिवस
120		5.36- अ. सड़क काटने की अनुज्ञा के आधार पर किये गए कार्य का निरिक्षण करना ब. सुव्यवस्थित सड़क मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन	अ. सड़क काटने की अनुमति के पश्चात् 30 कार्य दिवस ब. सड़क मरम्मत के पश्चात् 30 कार्य दिवस
121		5.37- निकायों से खाद्य व्यवसाय हेतु लाइसेंस	30 कार्य दिवस
122		5.38- ऑडिटोरियम / लोक-मनोरंजन के स्थान हेतु लाइसेंस (Licensing for Auditorium / Place of Public amusement)	अ. सड़क काटने की अनुमति के पश्चात् 30 कार्य दिवस ब. सड़क मरम्मत के पश्चात् 30 कार्य दिवस
123		5.39- औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल की उपलब्धता/ अनुपलब्धता	1. 15 कार्य दिवस 2. 15 कार्य दिवस
124		5.40 भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र	15 दिवस 15 दिवस
125		5.41 विकास आयोजना अनुमोदन (औद्योगिक प्रयोजन की भूमि)	30 कार्य दिवस
126	सामान्य प्रशासन	6.1- कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना।	U- 7 R- 7
127		6.2- कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना।	U- 3 R- 3

128		6.3- जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना a) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना b) अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना c) विमक्त, घमक्कड एवं अर्द्ध घमक्कड जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करना	U- 30 R- 30
129		6.4- राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय।	U- 3 R- 3
130		6.5- मैनुअल जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना	3
131		6.6- जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना	15
132		6.7- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस
133	सामाजिक न्याय	7.1- सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना	U- 15 R- 15
134		7.2- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बाद स्वीकृति एवं प्रदाय करना।	U- 15 R- 15
135		7.3- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बाद स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	U- 15 R- 15
136		7.4- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना।	U- 15 R- 15
137		7.5- राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदाय करना।	U- 30 R- 30
138		7.6- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय।	U- 15 R- 15
139		7.7- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अ) सामूहिक विवाह ब) गैर- सामूहिक विवाह	अ) 15 ब) 15

140	7.8- मुख्यमंत्री निकाह योजना	15
141	7.9- मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना	15
142	7.10- निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना	15
143	7.11- मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	30
144	7.12- छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना	7
145	7.13- निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	15
146	7.14- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	15
147	7.15- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अ) प्रसूति व्यय/ अवकाश एवं चिकित्सा सहायता ब) प्रसूति व्यय राशि रुपये 1400/- (जननी सुरक्षा अंतर्गत) स) प्रसूता को 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य मजदूरी राशि द) पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि इ) दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना अंतर्गत चिकित्सा सहायता फ) छात्रवृत्ति: कक्षा 9 वी से कक्षा 12 वी के अध्ययनरत केवल दो विधार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रुपया 100/- की दर से शिक्षावृत्ति प्रदान की जाती है ग) बिमा सहायता ह) आम आदमी बिमा योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है ई) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है	अ) ब) स) द) एवं इ) के लिए : 10 कार्य दिवस फ) के लिए : 10 कार्य दिवस ई) के लिए : 10 कार्य दिवस

148	7.16- वृदाश्रमों के लिए अनुदान अ) वृद्धाश्रमों का अनुरक्षण ब) रेस्पार्ट केयर गृह का रखरखाव/नियमित संरक्षण केन्द्र का संचालन सी) बहुसेवा केन्द्र द) मोबाईल चिकित्सा इकाई इ) डिमेनशिया से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल के लिये दिवा देखभाल केन्द्र फ) फिजियोथेरेपी क्लिनिक ग) वृद्ध व्यक्तियों के लिये हेल्पलाईन एवं परामर्श का कार्य ह) स्कूल एवं कालेज के छात्रों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम ई) वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण हेतु जागरूकता कार्यक्रम ज) वृद्ध व्यक्तियों के लिये स्वैच्छिक ब्यूरो क) वृद्ध संघों /वरिष्ठ नागरिक संघों /स्व सहायता समूहों का गठन ल) वृद्ध विधवा महिलाओं के लिये बहुसुविधा देखभाल केन्द्र म) क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्रों की स्थापना	30 कार्य दिवस
149	7.17- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीयन	7
150	7.18- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण	7
151	7.19- वृदाश्रमों के संचालन/अनुरक्षण हेतु म.प्र. निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं में शासकीय/अशासकीय संस्थानों/निकायों से प्राप्त अनुदान प्रस्तावों की जिले द्वारा अनुशंसा करना अ. वृदाश्रमों के संचालन/अनुरक्षण ब. वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र (डे केयर सेंटर)	30
152	7.20 मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना	30 कार्य दिवस
153	7.21 मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस
154	आदिम जाति कल्याण 8.1- मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान करना।	R- 30 days U- 30 days

155	खाद्य विभाग	9.1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को नवीन पात्रता पर्ची जारी करना I	15
156		9.2- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करना I	15
157		9.3- सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खद्यान्य, शक्कर एवं कैरोसिन प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना।	15
158		9.4- पात्रता पर्ची में नाम सुधार	15
159		9.5- पात्रता पर्ची में नाम जोड़ना	15
160		9.6- पात्रता पर्ची से सदस्यों के नाम काटना	15

161	9.7- पात्रता पर्ची में पता परिवर्तन	15
162	9.8- पात्रता पर्ची का स्थानांतर (मप्र के अंदर)	15
163	9.9- कृषि गोदाम नवीन लाइसेंस जारी करना	15
164	9.10- कृषि गोदाम हेतु लाइसेंस जारी का नवीनीकरण करना	15
165	9.11- पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भंडारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति जारी करना	15
166	9.12- पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भंडारण हेतु जारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	15
167	9.13- केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्ध थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति जारी करना	आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवस
168	9.14- केरोसिन थोक विक्रेता एवं अर्ध थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना	आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवस
169	9.15- नाथ्या व्यापारी को नाथ्या के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना	आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवस
170	9.16- नाथ्या व्यापारी को नाथ्या के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना	आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवस
171	9.17- विलायक, रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी को अनुज्ञप्ति जारी करना	आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवस

172		9.18- विलायक, रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना	आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवस
173		9.19- उचित मूल्य दुकान का आवंटन	दुकान आवंटन हेतु प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार अंतिम दिन से 15 कार्य दिवस
174		9.20- उचित मूल्य दुकान का नवीनीकरण	दुकान आवंटन हेतु प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार अंतिम दिन से 15 कार्य दिवस
175	वन विभाग	10.1- वन्य प्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान	R- 3 days U- 3 days
176		10.2- वन्य प्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान	R- 7 days U- 7 days
177		10.3- वन्यप्राणियों से पशु-हानि राहत राशि का भुगतान	R- 30 days U- 30 days
178		10.4- मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। (1) डिपो से काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण । (2) पथक लाट के विकल्प की दशा मे वक्रिय मूल्य की पूर्ण वसुली के प्रकरण।	R- 45 days U- 45 days
179		10.5 काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना। (1) शासकीय काष्ठगार हेतु (2) काष्ठ के पंजीकृत हेतु (3) भूमि से प्राप्त काष्ठ हेत	R- 30 days U- 30 days
180		10.6- संरक्षित/आरक्षित/अवर्गीकृत वन से दूरी बाबत एवं एकोसैसिटिव जोन में न होने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र	15 कार्य दिवस
181		गृह विभाग	11.1 मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदाय करना।

182	11.2- एफ.आई.आर. की डुप्लीकेट प्रति फरियादी को प्रदाय करना ।	1- 1 कार्य दिवस (म.प्र. पुलिस के ई-गवर्नेंस पोर्टल पर रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होने की स्थिति में) 2- 7 कार्य दिवस (म.प्र. पुलिस के ई-गवर्नेंस पोर्टल पर रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध न होने की स्थिति में)
183	11.3- लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण।	15 कार्य दिवस
184	11.4- लायसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण।	60 कार्य दिवस
185	11.5- शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना।	07 कार्य दिवस
186	11.6- मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देना।	07 कार्य दिवस
187	11.7- डुप्लीकेट लाइसेंस प्रदान करना (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात)	7 कार्य दिवस
188	11.8- स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र (प्रथम शस्त्र जो पुनर्विक्रिये का न हो) दर्ज किये जाने बावत् आवेदन पत्र	7 कार्य दिवस
189	11.9- ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी गति से उपयोग किये जाने की अनुमति बावत्	7 कार्य दिवस
190	11.10- अस्थायी यात्रा लायसेंस प्रदान किये जाने बावत् आवेदन पत्र (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात)	02 कार्य दिवस
191	11.11- मोबाइल एवं अन्य सामग्री गुम होने की सूचना की पावती	01 कार्य दिवस
192	11.12- चरित्र सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 05 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक ही स्थान में निवासरत रहा हो)	30 कार्य दिवस

193	11.13 - किरयेदार/नौकर का सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 05 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक ही स्थान में निवासरत रहा हो)	30 कार्य दिवस
194	11.14 - संस्था में हथियार के सेवक/सेवकों की नियुक्ति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात्)	07 कार्य दिवस
195	11.15- लाइसेंस धारी संस्थाओं के हथियार के सेवक/सेवकों का नाम जोड़ना/हटाना (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात्)	07 कार्य दिवस
196	11.16- मृत्यु के बाद, हथियारों की बिक्री/स्थानान्तरण की अनुमति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद) जिला दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत	07 कार्य दिवस
197	11.17 - मृत्यु के उपरांत हथियार का समर्पण एवं लाइसेंस का निरस्तीकरण	07 कार्य दिवस
198	11.18- किसी एक समय में 15 कि.ग्राम से अनधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन	60 कार्य दिवस
199	11.19- किसी एक समय में 15 कि.ग्राम से अनधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
200	11.20- किसी एक समय में 15 कि.ग्राम से अधिक किन्तु 500 कि.ग्राम से अनधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन	60 कार्य दिवस
201	11.21- किसी एक समय में 500 कि. ग्राम से अधिक आतिशबाजी या गन पाउडर या दोनों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन	60 कार्य दिवस
202	11.22- आतिशबाजी बारूद एएनएफओ, एलओएक्स, एसएमई से भिन्न विस्फोटकों का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी / अनुमोदन	60 कार्य दिवस
203	11.23- कृषि प्रयोजन के लिए या छोटी खदान में उपयोग के लिए वर्ग 1 या 2 या 3 के 50 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक 1500 विस्फोट प्रेरक और 1500 मीटर विस्फोट प्रेरक फ्यूज या किसी भी समय मैगजिन में सुरक्षा फ्यूज कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन	60 कार्य दिवस
204	11.24- कृषि प्रयोजन के लिए या छोटी खदान में उपयोग के लिए वर्ग 1 या 2 या 3 के 50 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक 1500 विस्फोट प्रेरक और 1500 मीटर विस्फोट प्रेरक फ्यूज या किसी भी समय मैगजिन में सुरक्षा फ्यूज कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
205	11.25 - मैगजिन में वर्ग 1,2,3,4,5,6 या 7 के विस्फोटक के विक्री के लिए कब्जे की अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन	60 कार्य दिवस

206	11.26 - मैगजिन में वर्ग 1,2,3,4,5,6 या 7 के उपयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन	60 कार्य दिवस
207	11.27- किसी भंडारगृह में 5000 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी को स्वयं की अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकान में अंतरण के लिए परन्तु विक्री के लिए नहीं, कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी / अनुमोदन	60 कार्य दिवस
208	11.28- अनुसूची IV, भाग 1 के अनुक्षेद 1 से 8 में उपबंधित नहीं किये गए विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, विक्री, उपयोग आदि के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/ अनुमोदन	60 कार्य दिवस
209	11.29- एडिर्वर्टस के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 कि. ग्रा. से अनाधिक बारूद कब्जे में रखने और किसी एक समय 200 से अधिक एडिर्वर्टस कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
210	11.30- वर्ग 2 या 3 के विस्फोटकों के 25 कि. ग्रा. से अनाधिक, 200 से अनाधिक विद्युत् या सामान्य विस्फोट प्रेरक, 100 से अनाधिक विस्फोटक प्रेरक फ्यूज और संपीडक माउंटेड मोटर ट्रक या ट्रैक्टर से कुएं में उपयोग के लिए 200 मीटर से अनाधिक सुरक्षा फ्यूज परिवहन के लिए कब्जे में रखने की अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
211	11.31- लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
212	11.32- किसी एक समय 25 किलोग्राम से अनधिक छोटे आयुध-नाईट्रो - कंपाउंडों के कब्जे और दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
213	11.33- किसी एक समय वर्ग 7, खण्ड 2, उप-खण्ड-2 के 100 किलोग्राम से अनधिक विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम चोरसा पटाखे या स्पार्कर्स के कब्जे और दुकान से विक्री के लिए अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
214	11.34- किसी एक समय वर्ग 6, प्रभाग-1 के 2000 से अनधिक आतिशबाजी युक्त विस्फोटकों के कब्जे और दुकान से विक्री के लिए अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
215	11.35- 100 किलोग्राम से अधिक परन्तु 300 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम से अधिक परन्तु 1200 किलोग्राम से अनधिक चोरसा पटाखे या स्पार्कर्स के कब्जे और किसी दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति	60 कार्य दिवस
216	11.36- रोडवैन में विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/ अनुमोदन	60 कार्य दिवस
217	11.37 अशासकीय सेवा के प्रयोजन हेतु चरित्र सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 05 वर्ष में एक से अधिक जिलों में निवासरत रहा हो)	45 कार्य दिवस

218	11.38 किरायेदार / नौकर का सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 05 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक से अधिक थानाक्षेत्र में निवासरत रहा हो)	45 कार्य दिवस
219	11.39 किरायेदार / नौकर का सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 05 वर्ष में एक से अधिक जिलों में निवासरत रहा हो)	45 कार्य दिवस
220	11.40 विदेशों में अध्ययन एवं रोजगार के प्रयोजन हेतु विदेश जाने वाले व्यक्तियों के दस्तावेजों (जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र) का सत्यापन	07 कार्य दिवस
221	11.41 अवर्जित बोर के शस्त्र अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्तिधारी का पता परिवर्तन हेतु आवेदन	15 कार्य दिवस
222	11.42 अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस में शस्त्र जोड़ना/हटाना।	15 कार्य दिवस
223	11.43 शस्त्र लायसेंसधारी द्वारा संबंधित जिला से अन्यत्र जिला में निवास परिवर्तन की स्थिति में अनुज्ञप्ति का नवीन जिले में ट्रांसफर हेतु अनुज्ञप्ति जारीकर्ता जिले से एनओसी	30 कार्य दिवस
224	11.44 एडिवरटिस के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 कि.ग्रा. से अनाधिक बारूद कब्जे में रखने और किसी एक समय 200 से अधिक एडिवरटिस कब्जे में रखने संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।	45 कार्य दिवस
225	11.45 वर्ग 2 या 3 के विस्फोटकों के 25 कि. ग्रा. से अनाधिक, 200 से अनाधिक विद्युत् या सामान्य विस्फोट प्रेरक, 100 से अनाधिक विस्फोटक प्रेरक फ्यूज और संपीडक माउंटेड मोटर ट्रक या ट्रैक्टर से कुएं में उपयोग के लिए 200 मीटर से अनाधिक सुरक्षा फ्यूज परिवहन के लिए कब्जे में रखने संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।	45 कार्य दिवस
226	11.46 लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे और उपयोग संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।	45 कार्य दिवस
227	11.47 किसी एक समय 25 किलोग्राम से अनधिक छोटे आयुध-नाईट्रो - कंपाउंडों के कब्जे और दुकान से बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।	45 कार्य दिवस
228	11.48 किसी एक समय वर्ग 7, खण्ड 2, उप-खण्ड-2 के 100 किलोग्राम से अनधिक विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम चोरसा पटाखे या स्पर्कर्स के कब्जे और दुकान से बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।	45 कार्य दिवस
229	11.49 किसी एक समय वर्ग 6, प्रभाग-1 के 2000 से अनधिक आतिशबाजी युक्त विस्फोटकों के कब्जे और दुकान से बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	45 कार्य दिवस

230		11.5 100 किलोग्राम से अधिक परन्तु 300 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम से अधिक परन्तु 1200 किलोग्राम से अनधिक चोरसा पटाखे या स्पार्कल्स के कब्जे और किसी दुकान से बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	45 कार्य दिवस
231		11.51 म.प्र. में पंजीकृत निजी सुरक्षा एजेन्सी के लायसेंस का नवीनीकरण	45 कार्य दिवस
232	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12.1- राज्य बीमा सहायता निधि के अधीन रूपये- 2.00 लाख के प्रकरण जिला स्तरीय से स्वीकृत किया जाना।	R- 10 days U- 10 days
233		12.2- विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना।	R- 15 days U- 15 days
234		12.3- दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना।	R- 7 days U- 7 days
235		12.4- राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण करना।	R- 30 days U- 30 days
236		12.5- आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन।	R- 30 days U- 30 days
237		12.6- मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना।	30
238		12.7 प्रदेश में संचालित निजी उपचारग्रह/रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओ का पंजीकरण एवं अनुज्ञापन”	30
239		12.8 - प्रदेश में संचालित निजी उपचारग्रह/रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओ के रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन का नवीनीकरण.	30
240		12.9 - चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्रदान करना	1
241		12.10- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड प्रदान करना	15
242	12.11- PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत केन्द्रों के नवीन पंजीयन	45 कार्य दिवस	
243	12.12- PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत केन्द्रों के पंजीयन का नवीनीकरण	30 कार्य दिवस	

244	किसान कल्याण	13.1- रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र एव कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस जारी करना।	R- 30 days U- 30 days
245		13.2- रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र एवं कीटनाशक, बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण।	R- 30 days U- 30 days
246		13.3- उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्य तत्व उर्वरक मिश्रण या जैव उर्वरक अथवा कार्बनिक उर्वरक मिश्रण या अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरक के विनिर्माण हेतु प्रमाण पत्र कीटनाशक विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना।	R- 45 days U- 45 days
247		13.4- उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्य तत्व उर्वरक मिश्रण या जैव उर्वरक अथवा कार्बनिक उर्वरक मिश्रण या अखाद्य योग्य तेल रहित खली उर्वरक के विनिर्माण हेतु प्रमाण पत्र कीटनाशक विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना।	R- 45 U- 45
248		13.5- मिट्टी नमूना परीक्षण	30
249		13.6- बीज नमूना परीक्षण (सर्विस सेम्पल)	60
250	महिला बाल विकास	14.1- लाइली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना।	R- 30 days U- 30 days
251		14.2- पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना।	R- 7 days U- 7 days
252		14.3- प्रधानमंत्री मात्री वंदना योजना	60 कार्य दिवस
253	परिवहन	15.1- लनिंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना।	R- 10 days U- 10 days
254		15.2- वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना।	R- 15 days U- 15 days

255	15.3- वाहन पंजीयन	R- 30 days U- 30 days
256	15.4- लनिंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना	R- 7 days U- 7 days
257	15.5- वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करना	R- 7 days U- 7 days
258	15.6- वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	R- 7 days U- 7 days
259	15.7- ड्रायविंग लायसेंस जारी करना	R- 15 days U- 15 days
260	15.8- डुप्लीकेट ड्रायविंग लायसेंस जारी करना	R- 15 days U- 15 days
261	15.9- ड्रायविंग लायसेंस का नवीनीकरण	R- 15 days U- 15 days
262	15.10 मंजिली गाड़ी के लिए अस्थाई परमिट जारी करना।	R- 15 days U- 15 days
263	15.11- मंजिली गाड़ी के लिए स्थाई परमिट जारी करना।	30
264	15.12- डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड	7
265	15.13- मृत्यु के बाद स्वामित्व का हस्तांतरण	30
266	15.14- स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	15
267	15.15- वाहन पंजीयन के पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	30
268	15.16- लायसेंस के पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	7
269	15.17- वाहन पंजीयन का नवीनीकरण	15
270	15.18- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के विनियम 59 के अंतर्गत पता परिवर्तन करना	7

271		15.19- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के विनियम 60 के अंतर्गत भाड़ा करार दर्ज करना	7
272		15.20-केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के विनियम 60 (1) के अंतर्गत भाड़ा करार निरस्त करना	7
273	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	16.2- अद्यतन बी.पी.एल. सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना (ग्रामीण क्षेत्र)	7
274		16.3 (अ) नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहां तकनीकी रूप से साध्य हो, वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना। (ब) नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय।	15 15
275		16.4- ग्रामीण स्वसहायता समूहों की ग्रेडिंग करना।	30
276		16.5- ग्रामीण क्षेत्रों में कोलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण	60
277		16.6- ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाईजर लायसेंस का नवीनीकरण	60
278		16.7- ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी विकास के लिए अनुज्ञा	60
279		16.8- ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र	45
280		16.9- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ग्रामीण क्षेत्र) अंतर्गत भुगतान	7
281		16.10- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (ग्रामीण क्षेत्र) अंतर्गत भुगतान	7
282		16.11- नल-जल योजन अंतर्गत नल कनेक्शन में नाम परिवर्तन (ग्रामीण क्षेत्र)	7
283		16.12- नल-जल योजन अंतर्गत नल कनेक्शन बंद कराना (ग्रामीण क्षेत्र)	7
284		16.13- अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्रदाय किया जाना (ग्रामीण क्षेत्र)	7
285		16.14 जॉबकार्ड की मांग	15 दिवस
286		16.15 मनरेगा अंतर्गत रोजगार की मांग	15 दिवस
287		16.16 जॉबकार्डधारी मजदूर को रोजगार की मांग करने पर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता	15 दिवस
288	16.17 विभाग के निर्देश क्र. 2976/NR-10/MGNREGS-MP/2018 तहत मस्टरोल अनुसार मजदूरी का भुगतान आदेश (FTO) जारी करना	08 दिवस	

289	नगरीय आवास एवं पर्यावरण	17.1- अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी	7
290		17.2- अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी	7
291		17.3- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मिलित।	45
292		17.4- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मिलित।	45
293		17.5- प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निज भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी।	R- 20 days U- 20 days
294		17.6- प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति / आपत्ति प्रदाय करना।	R- 20 days U- 20 days
295		17.7- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त ब्रह्द/माध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति।	R- 45 days U- 45 days
296		17.8- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त ब्रह्द/माध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति।	R- 45 days U- 45 days
297		17.9- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 के नियम-9 में लघु श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुनः चक्रणकर्ता का पंजीकरण	45
298		17.10- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 के नियम-9 में ब्रह्द एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुनः चक्रणकर्ता का पंजीकरण	45
299		17.11- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डआर गिट्टी एवं रेत खदान को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत सम्मिलित (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों 5 की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)	45
300		17.12- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डआर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सम्मिलित (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)	45

301	17.13- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डीर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु परिसंकटमय अपशिष्ट नियम 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीनकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)	45
302	17.14- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत सम्मयति	45
303	17.15- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सम्मति	45
304	17.16- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्टन नियम 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	45
305	17.17- 200 बिस्तीर या उससे अधिक क्षमता के चिकित्सा संस्थान तथा चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान व्यवस्था के संचालकों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	45
306	17.18- 200 बिस्तर से कम क्षमता के चिकित्सा संस्थान पेथोलॉजी, ब्लगड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीमनिक एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्टस नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण	45
307	17.19- नगरीय ठोस अपशिष्टा नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक निगम एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के अपवहन व्यवस्था के संचालकों को प्राधिकार	45
308	17.20- नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायत को प्राधिकार एवं नवीनीकरण	45
309	17.21- बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम 2001 यथा संशोधित नियम 7 (VII) के अन्तर्गत बैटरी डीलर्स का पंजीकरण	45 कार्य दिवस

310		17.22- ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम 13(2) तथा 13(3) अन्तर्गत निर्माणकर्ता, डिस्मेंटलर तथा रिसाईकलर को प्राधिकार	45 कार्य दिवस
311		17.23- ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम 13(4) के अन्तर्गत रिफर्विशर को प्राधिकार	45 कार्य दिवस
312	योजना आर्थिक एवं संखिकीय	18.1- जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र	7
313		18.2- मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र	7
314		18.3- जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति	15
315		18.4- मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति	15
316		18.5- जन्म प्रमाण पत्र	15

317	18.6- मृत्यु प्रमाण पत्र	15
318	18.7- विवाह पंजीयन	30
319	18.8- जन्म प्रमाण में बच्चे का नाम जुड़वाना	7
320	वित्त विभाग 19.1 पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन/ परिवार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन/ जिला पेंशन कार्यालय भेजना।	30

321		19.2- पेंशन/ परिवार पेंशन प्रकरण में वाग द्वारा आपत्तियों के निराकरण करने पर पेंशन/ परिवार पेंशन भुगतान आदेश जारी करना।	30
322		19.3- पेंशन/ परिवार पेंशन भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/ परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान।	30
323	उद्योग निति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	20.8- आशय पत्र जारी करना- 1. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में 2. इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रू. 10 करोड से कम निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में (मान्य अनुमोदन श्रेणी अन्तर्गत अधिसूचित सेवा)	1 तत्क्षण-ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर पदाभिहित पोर्टल द्वारा आशय पत्र उसी दिवस में स्वतः उत्पन्न किया जावेगा। 2 7 कार्य दिवस
324		20.9- आवंटन आदेश जारी करना (मान्य अनुमोदन श्रेणी अन्तर्गत अधिसूचित सेवा)	04 कार्य दिवस (आशय पत्र की पूर्ण राशि प्राप्त होने की दिनांक से)
325		20.10- पट्टा अभिलेख का निष्पादन	10 कार्य दिवस (आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति सहित)
326		20.11- आधिपत्य प्रदान करना (मान्य अनुमोदन श्रेणी अन्तर्गत अधिसूचित सेवा)	03 कार्य दिवस (पट्टा अभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत)
327		20.12- नगरीय क्षेत्रों में एमपीआईडीसी लि. के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति	10 कार्य दिवस
328		37.1- म.प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. के अधीन विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों को जल आवंटन	05 कार्य दिवस
329		37.2-म. प्र. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. के अधीन विकसित एवं विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों तथा निगम के आधिपत्य की अविकसित भूमी में जल प्रदाय की उपलब्धता/ अनपलब्धता का प्रमाण पत्र	03 कार्य दिवस

330		37.3- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अन्तर्गत एमपीआईडीसी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं से सम्बंधित निवेशकों द्वारा दर्ज सभी प्रश्नों के सन्दर्भ में समुचित कार्यवाही एवं निराकरण सुनिश्चित करने हेतु	15 कार्य दिवस
331		37.4- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अन्तर्गत एमपीआईडीसी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं से सम्बंधित निवेशकों द्वारा दर्ज सभी शिकायतों के सन्दर्भ में समुचित कार्यवाही एवं निराकरण सुनिश्चित करने हेतु	07 कार्य दिवस
332		37.5- एमपीआईडीसी द्वारा उपाजन हेतु जारी (सेवा/कार्य/सामग्री) निविदाओं के अनुमोदन पर निर्णय	निविदा दस्तावेज में निर्धारित समय-सीमा अनुसार
333		37.6- निविदा दस्तावेज अनुसार तयशुदा कार्य पूर्ण होने पर विक्रेताओं को भुगतान	निविदा दस्तावेज में निर्धारित भुगतान अनुसूची और परिदेय मापदंड अनुसार
334	उच्च शिक्षा	21.1- नामांकन/ माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान करना	3
335		21.2- प्रोवीजनल उपाधि/ डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना।	2
336		21.3- अंकसूची में सुधार/ नाम/ उपनाम (सरनेम) सुधार करना।	2
337		21.4- शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गये समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना।	15
338		21.5- शोध प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुति के पश्चात पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय	180
339		21.6 (अ) उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन (स्वशासी महाविद्यालय) (ब) उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन	5
340		21.7 (अ) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (समस्त महाविद्यालय) (ब) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (समस्त महाविद्यालय)	5
341		21.8 (अ) चरित्र प्रमाण पत्र (समस्त महाविद्यालय) (ब) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (समस्त महाविद्यालय)	5
342		21.9 (अ) दस्तावेजों का सत्यापन (समस्त महाविद्यालय) (ब) दस्तावेजों का सत्यापन (समस्त महाविद्यालय)	5

343	खाद्य एवं औषधि	22.1- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68 ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत अनुज्ञप्तियां जारी करना।	3
344		22.2- केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के तहत अनुज्ञप्तियां जारी करना।	45
345		22.3- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68 ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत अधिकतम 10 उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना ।	3
346		22.4- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) एवं नियमावली 1945 के नियम 68 ए के अंतर्गत औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) से अनुमोदित एवं प्रतिहस्ताक्षरित होकर प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत 10 से अधिक उत्पादों के लिए अनुमति जारी करना ।	15
347		22.5- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंस में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना।	5
348		22.6- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंस में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना।	15
349		22.7- भारत सरकार से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में अधिकतम 10 औषधियों की अनुमति जारी करना।	3
350		22.8- भारत सरकार से अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 69 (1) एवं 90 (1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना।	15

351	22.9- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करना।	30
352	22.10- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त खेरची औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना।	30
353	22.11- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना	30
354	22.12- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त खेरची एवं थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना।	30
355	22.13- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त सीमित औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना।	30
356	22.14- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम, 59 का उपनियम (1) के अंतर्गत संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व से प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति की अनूलिपि जारी करना।	15
357	22.15- राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को अ) अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र जारी करना ब) अदोषसिद्धि प्रमाण पत्र जारी करना (उत्पादों की सूची के साथ)	15 30
358	22.16- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची एम के अनुपालन में औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जीएमपी प्रमाण पत्र जारी करना।	30
359	22.17- औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को फ्री सेल्स प्रमाण पत्र जारी करना।	15

360		22.18- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावलीए 1945 की अनुसूची के अनुपालन में औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जीएलपी प्रमाण पत्र जारी करना।	15
361		22.19- राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्तिधारी को अ) मार्केट स्टेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करना। ब) मार्केट स्टेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करना।(उत्पादों की सूची के साथ)	15 30
362		22.20- केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 75(1) के अंतर्गत राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति जारी करना	45
363		22.21- केन्द्रीय अनुज्ञापन अनुमोदन प्रणाली के अलावा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69(1) एवं 75(1) के अंतर्गत राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना	60
364	पर्यटन विभाग	23.1- मध्यप्रदेश पर्यटन नीति की कंडिका 6 के तहत परियोजना की स्थापना एवं विस्तार हेतु पूंजीगत व्यय पर अनुदान I	45 दिवस
365		23.2- टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर	45 दिवस
366		23.3- होटल रजिस्ट्रेशन	45 दिवस
367		23.4- फिल्म शूटिंग परमिशन	45 दिवस
368		23.5- टूरिज्म इवेंट हेतु परफॉर्मेंस लाइसेंस	45 दिवस
369		सूक्ष्म लघु और मध्यम उधम विभाग	24.1- एम्एसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत टर्मलोन पर ब्याज अनुदान सहायता की स्वीकृति अ) आवेदन (संबंधित वित्तीय संस्था का निर्धारित प्रपत्र में क्लेम फार्म) की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति ब) जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना
370	24.2- एम्एसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत पूंजी अनुदान सहायता की स्वीकृति अ) आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति ब) जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना		30

371		24.3 एम्एसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत वेट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति अ) आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति ब) जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना	30
372		24.4 एम्एसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत प्रवेश कर छुट की स्वीकृति अ) आवेदन की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति ब) जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णित कराना	30
373		24.5- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन का परिक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करना	15
374		24.6- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	15
375		24.7- सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र	15
376	मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल	25.1 - एम्.बी.बी.एस.मेडिकल कोर्स उपरांत प्रोविजनल पंजीयन	30
377		25.2- एम्.बी.बी.एस.मेडिकल कोर्स उपरांत स्थायी पंजीयन	30
378		25.3- अन्य राज्य में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का म.प्र. में रेसीप्रोकल पंजीयन	30
379		25.4- प्रोविजनल पंजीयन की डुप्लीकेट प्रति	15
380		25.5- स्थायी एवं रेसीप्रोकल पंजीयन की डुप्लीकेट प्रति	15
381		25.6- अन्य राज्य में पंजीयन कराने हेतु अत्रापत्ति प्रमाण पत्र NOC	15
382		मध्यप्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल	26.1- बी.डी.एस. दन्त चिकित्सीय स्नातकों के लिए नया पंजीयन
383	26.2- बी.डी.एस. दन्त चिकित्सीय स्नातकों के लिए नया पंजीयन		15
384	26.3- योग्य डी.एम. डी.एच एवं डोरा के लिए नया पंजीकरण करना		30
385	26.4- पंजीकृत दंत चिकित्सकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना		15
386	26.5- डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना		15
387	26.6- परिषद् से गुड स्टैंडिंग प्रमाण पत्र जारी करना		15
388	26.7- अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण करना		30
389	26.8- उपनाम संशोधन का पंजीकरण करना		15

390		26.9- (तत्काल सेवा) बी.डी.एस. दन्त चिकित्सीय स्नातकों के लिए नया पंजीयन	30
391		26.10- (तत्काल सेवा) बी.डी.एस. दन्त चिकित्सीय स्नातकों के लिए नया पंजीयन	15
392		26.11- (तत्काल सेवा) योग्य डी.एम. डी.एच एवं डोरा के लिए नया पंजीकरण करना	30
393		26.12- (तत्काल सेवा) पंजीकृत दंत चिकित्सकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	15
394		26.13- (तत्काल सेवा) डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना	15
395		26.14- (तत्काल सेवा) परिषद् से गुड स्टैंडिंग प्रमाण पत्र जारी करना	15
396		26.15- (तत्काल सेवा) अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण करना	30
397		26.16- (तत्काल सेवा) उपनाम संशोधन का पंजीकरण करना	15
398	पेरामेडिकल काउंसिल	27.1- पेरामेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीयन	90
399		27.2- तत्काल पंजीयन	3
400		27.3- पंजीयन का नवीनीकरण	45
401		27.4- अन्य प्रदेश में कार्य के लिए NOC (No Objection Certificate)	30
402		27.5- माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन	30
403		27.6- डुप्लीकेट मार्कशीट	30
404		27.7- मार्कशीट में त्रुटि का सुधार	30
405		27.8- उपाधि प्रमाण-पत्र	7
406		27.9- गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट	7
407		27.10- डुप्लीकेट पंजीयन	30
408		27.11- तत्काल पंजीयन नवीनीकरण	3
409	मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल	28.1- ए.एन.एम. कोर्स पश्चात पंजीयन	45
410		28.2- जी.एन.एम. कोर्स पश्चात पंजीयन	45
411		28.3- बी.एस.सी. (न) कोर्स पश्चात पंजीयन	45
412		28.4- पो. बेसिक बी.एस.सी. (न) कोर्स पश्चात पंजीयन	45
413		28.5- एम्.एस.सी. (न) कोर्स पश्चात पंजीयन	45
414		28.6- प्रोमोटी टू एल.एच.व्ही. कोर्स पश्चात पंजीयन	45
415		28.7- पो.बेसिक बी.एस.सी. डिप्लोमा	45
416		28.8- ए.एन.एम. कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण	15
417		28.9- जी.एन.एम. कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण	15
418		28.10- बी.एस.सी. (न) कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण	15

419		28.11- पंजीयन की डुप्लीकेट प्रति	45
420		28.12- ए.एन.एम् जी.एन.एम् के लिए माइग्रेशन लेटर	7
421		28.13- जी.एन.एम्. से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. के लिए माइग्रेशन लेटर	7
422		28.14- ए.एन.एम् की मार्कशीट की डुप्लीकेट प्रति	7
423		28.15- जी.एन.एम्. की मार्कशीट की डुप्लीकेट प्रति	7
424	आयुष विभाग	29.1- आयुष चिकित्सक का पंजीयन	90
425		29.2- आयुष चिकित्सक का प्रोविजनल पंजीयन	30
426		29.3- अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिए NOC	30
427		29.4- होम्योपेथी औषधि निर्माण लायसेंस जारी करना	30
428		29.5- आयुर्वेदिक औषधि निर्माण लाइसेंस जारी करना	30
429		29.6 योग्यतावृद्धि प्रमाण-पत्र (एम.डी. आयुर्वेद / यूनानी/ प्राकृतिक चिकित्सा) (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर)	30 कार्य दिवस
430		29.7 रजिस्ट्रेशन सत्यापन (रिनिवल) (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर)	15 कार्य दिवस
431		29.8 रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति /संशोधित प्रति (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर)	15 कार्य दिवस
432		29.9 पता परिवर्तन (नाम/उपनाम/ पता परिवर्तन) प्रोफाइल संशोधन, मोबाईल चेंज (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर)	05 कार्य दिवस
433		29.10 अनंतिम पंजीयन प्रमाण-पत्र Provisional Registration Certificate	30 कार्य दिवस
434		29.11 पंजीयन (स्थायी) प्रमाण-पत्र Registration (Permanent) Certificate	30 कार्य दिवस
435		29.12 पंजीयन पुनरीक्षण प्रमाण-पत्र Certificate of Revision for Registration	30 कार्य दिवस
436		29.13 अन्य प्रदेशों में पंजीयन के लिए NOC (No Objection Certificate)	45 कार्य दिवस
437		म.प्र. स्टेट फार्मसी कौंसिल	30.1- डी. फार्मा/बी फार्मा/फार्म डी के पश्चात् फार्मसी के लिए पंजीयन
438	30.2- फार्मसी के पंजीयन का नवीनीकरण		60
439	30.3- एन.ओ.सी. जारी करना		30
440	30.4- अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता जोड़ने बावत		30
441	30.5- पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्रदाय करना		60

442	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	31.1- हम्माल (मंडी क्रयकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना	42
443		31.2- तुलावती (मंडी क्रयकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना	42
444		31.3- व्यापारी (मंडी क्रयकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना	42
445		31.4- पक्का आढ़तिया (मंडी क्रयकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना	42
446		31.5- प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रयकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना	42
447		31.6- फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रयकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना	42
448		31.7- फल-सब्जी पक्का आढ़तिया/कमीशन एजेंट (मंडी क्रयकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना	42
449		31.8- फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रयकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना	42
450		31.9- हम्माल (मंडी क्रयकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	42
451		31.10- तुलावती (मंडी क्रयकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	42
452		31.11- व्यापारी (मंडी क्रयकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	42
453		31.12- पक्का आढ़तिया (मंडी क्रयकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	42
454		31.13- प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रयकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	42
455		31.14- फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रयकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	42
456		31.15- फल-सब्जी पक्का आढ़तिया/कमीशन एजेंट (मंडी क्रयकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	42
457		31.16- फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रयकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	42
458		31.17- मुख्य मंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 a. दुर्घटना मृत्यु होने पर 4.00 लाख (चार लाख मात्र) b. दुर्घटना में स्थाई अपंगता 25,000/- (पचीस हजार मात्र) c. दुर्घटना में अंग भंग होने से आंशिक अपंगता – 7500/- (सात हजार पांच सौ मात्र) c. अन्त्येष्टि अनुदान 2000/- (दो हजार मात्र)	30

459		31.18- मुख्यमंत्री मंडी हमाल एवं तुलावटी सहायता योजना-2008 (संशोधित वर्ष 2014) a. प्रसूति अवकाश सहायता एवं प्रसूति व्यय सहायता b. चिकित्सा सहायता c. प्रावीणया छात्रवृत्ति सहायता d. विवाह सहायता e. बीमा सहायता f. शिक्षावृत्ति g. अंत्येष्टि सहायता	42
460	लोक निर्माण विभाग	32.1 विद्युत कनेक्शन लेने हेतु सड़क के राईट ऑफ़ वे में खुदाई/रोड कटिंग की अनुमति	15
461		32.2- टेलीफ़ोन कनेक्शन लेने हेतु सड़क के राईट ऑफ़ वे में खुदाई/रोड़ कटिंग की अनुमति	15
462		32.3- ठेकदारों का पंजीयन कार्य	15
463	आबकारी विभाग	33.1- एफ.एल. 10 (क) बाहरी (आउटसाइडर) की केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
464		33.2- एफ.एल. 10 (ख) मूल में बोटल बंद आयातित विदेशी मदिरा के लिए केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत
465		33.3- एफ.एल. – 6 सैनिक केन्टीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 02 सप्ताह में

466	33.4- एफ.एल.-7 सैनिक कैटीन फुटकर अनुज्ञप्ति	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 02 सप्ताह में
467	33.5- एफ.एल.- 8 सैनिक/अर्द्धसैनिक (पैरा मिलिट्री) बल द्वारा संचालित विनोदगृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) द्वारा विदेशी मदिरा कब्जे में रखने अनुज्ञप्ति	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 02 सप्ताह में
468	33.6- आर.एस.-1 परिशोधित स्पिरिट के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति (परिशोधित स्पिरिट के बोतल में भरने एवं बिक्री के लिए रासायनिक ओर ओषधि विक्रेता या अनुमोदित संस्था के लिए)	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 02 सप्ताह में
469	33.7- RS – 2A मद्यसार (Alcohol) अफीम, भारतीय गांजा ओर अन्य स्वापक (Narcotic) दवाओं को समावेश ठोस तत्व व मूल ओषधियों ओर अन्य ओषधियों ओर वातित रसायनों के अतिरिक्त उन्हें छोड़कर जिनमे मद्यसार(Alcohol), अफीम बनाये जाने में उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट के कब्जा रखने के लिए लाइसेंस	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 03 सप्ताह में
470	33.8- RS – 2B ठोस तत्वों, मूल ओषधियों ओर वातित रसायनों को, जिनमे मद्यसार भी समाविष्ट हो, सम्पाकों को बनाये जाने में उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट का कब्जा रखने के लिए अनुज्ञप्ति	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 03 सप्ताह में
471	33.9- डी.एस. - 1 विप्रकृत स्पिरिट के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 02 सप्ताह

472	33.10- डी.एस.पी - 2 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
473	33.11- एफ.एल. 1 बी (शॉप बार अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 02 सप्ताह
474	33.12- एफ.एल. 2 (रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
475	33.13- एफ.एल. 3 (होटल बार अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
476	33.14- एफ.एल. 3-क (रिसोर्ट बार अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह

477	33.15- एफ.एल. 4 (सिविलियन विनोदगृह अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
478	33.16- एफ.एल. 4-क (व्यावसायिक क्लब)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
479	33.17- एफ.एल. 5 (प्रासंगिक अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
480	33.18- सी.एस.2 ग (अहाता अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
481	33.19- सी.एस.2 ग-ग (प्रासंगिक कब्जा अनुज्ञा पत्र)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 02 सप्ताह

482	33.20- डी.एस. - 3 विप्रकृत स्पिरिट के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 02 सप्ताह
483	33.21- डी.एस.पी - 2 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
484	33.22- डी-1 (आसवानी में स्पिरिट विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
485	33.23- एफ.एल. 9 (बोटल भराई अनुज्ञप्ति-बाटलिंग लाइसेंस)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
486	33.24- एफ.एल. 9-क (विशेष बोटल भराई अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह

487	33.25- सी.एस.1-क (निर्यात हेतु देशी स्पिरिट के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
488	33.26- सी.एस.1-ख (बोतल भरने की अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
489	33.27- बी-3 (बीयर निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
490	33.28- बी-3/एफ.एल. 9-क (विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
491	33.29- बी-3-क (वाइनरी अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह

492	33.30- ड्राट बीयर निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
493	33.31- एच.डी.1-क (औषधीय ओर प्रसाधन सामग्रियों के सद्भावपूर्ण विनिर्माण के प्रयोजन के लिये, विहित सीमा से अधिक भांग का कब्जा रखने, विनिर्माण करने या परिवहन करने के लिए विशेष अनुज्ञा)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
494	33.32- डी.एस.पी.-1 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के निर्माण के लिए या ऐसे सम्पाकों में निर्माण ओर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
495	33.33- एन.डी. 1 (विनिर्मित औषधि कोका पत्ती की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
496	33.34- एन.डी. 1 क (औषधि, अफीम एवं स्वापक औषधि से निर्मित औषधियों के विनिर्माण, कब्जा ओर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह

497		33.35- एन.डी. 2 (औषधि, अफीम को छोड़कर कोका पत्ती और विनिर्मित औषधियों की औषधि विक्रेताओं के द्वारा बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
498		33.36- डी.एस. 3 (प्रमाणिक उद्योगों, वैज्ञानिक और मंद करने के प्रयोजन के लिए विप्रकृत स्पिरिट के कब्जा के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
499		33.37- डी.एस. 4 (विशेष प्रक्रिया द्वारा विकृतिकृत स्पिरिट के औषधि विक्रेताओं द्वारा कब्जे, उपयोग और विक्रय के लिए उद्योगों में कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति)	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह
500		33.38- सिनेमा लाइसेंस	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत 04 सप्ताह
501	नाप तौल विभाग	34.1- नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं। (ख) नाप-तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए	7 15
502		34.2- पेट्रोल,डीजल पंप का मूल मुद्रांकन	15
503		34.3- फ्लो (प्रवाह) मीटर का मूल मुद्रांकन	15
504		34.4- ऑटो रिक्शा/टेक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन	7
505		34.5- सी.एन.जी./एल.पी.जी. डिस्पेंसर/पंप का मूल मुद्रांकन	15
506		34.6- स्टोरेज टैंक का मूल मुद्रांकन	15

507		34.7- नाप-तौल उपकरणों का पुर्नसत्यापन (क) ऐसे नाप-तौल उपकरण जो नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाये जाते हैं। (ख) नाप-तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए	7
508		34.8- पेट्रोल,डीजल पंप का पुनः सत्यापन करना	7
509		34.9- फ्लो (प्रवाह) मीटर का पुनः सत्यापन करना	7
510		34.10- ऑटो रिक्शा/टेक्सी मीटर का पुनः सत्यापन करना	7
511		34.11- सी.एन.जी./एल.पी.जी. डिस्पेंसर/पंप का पुनः सत्यापन करना	7
512		34.12- स्टोरेज टैंक्स का पुनः सत्यापन करना	7
513		34.13- नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदायगी	45
514		34.14- निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	30
515		34.15- नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायगी	30
516		34.16- विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	15
517		34.17- नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायगी	30
518		34.18- सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	15
519		34.19- पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन	7
520	सहकारिता	35.1- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना	30
521		35.2- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र का नवीनीकरण	30
522		35.3- नवीन सहकारी संस्था का पंजीयन	45
523		35.4- फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना	30
524	फ़र्म एवं सोसायटी	36.1- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन संबंधी सेवा (धारा 7)	20
525		36.2- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नियमावली में संसोधन संबंधी सेवा (धारा 10 एवं 13)	20
526		36.3- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी फर्म के पंजीयन संबंधी सेवा (धारा 59)	20

527		36.4- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म नाम से और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख धारा (60)	30
528		36.5- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन शाखाओं को बंद करने और खोलने का टिप्पणीत किया जाना धारा (61)	30
529		36.6- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणीत किया जाना धारा (62)	30
530		36.7- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन धारा (63)	30
531		36.8- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भूलों का परिशोधन धारा (63)	30
532		36.9- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण धारा (66)	30
533		36.10- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन प्रतियों का दिया जाना धारा (67)	30
534	म.प्र. संचालक वाष्पयंत्र	38.1- बायलर अधिनियम 1923 की धारा 7 के अंतर्गत बायलर का पंजीयन	30
535		38.2- बायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अंतर्गत बायलर का निरीक्षण	17
536		38.3- भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाइयों का अनुमोदन	30
537		38.4- भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाइयों का अनुमोदन	30
538		38.5 भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अन्तर्गत बायलर सुधारक के रूप में पंजीयन	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के दिनांक से)

539		38.6 भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 388 के अन्तर्गत बायलर के स्थानांतरण की अनुमति	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के दिनांक से)
540		38.7 बायलर अधिनियम 1923 की धारा 4 सी के अन्तर्गत बायलर के विनिर्माण की अनुमति	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के दिनांक से)
541	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	39.1- उपाधि प्रमाण पत्र	15
542		39.2- डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण पत्र /अंकसूची	15
543		39.3- अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र	15
544		39.4- माइग्रेशन प्रमाण पत्र	15
545		39.5- ट्रांसक्रिप्ट	3
546		39.6- अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों में नाम सुधार	15
547		39.7- सनात्कोत्तर परीक्षाओं हेतु प्रस्तुत करने के उपरांत परीक्षकों की नियुक्ति	15
548		39.8- अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालय से स्थानांतरण पर दिया जाना समतुल्यता प्रमाण पत्र	15
549		39.9- डाक्टर ऑफ फिलोसोफी वायवा हेतु परीक्षकों की नियुक्ति	30
550		39.10- डाक्टर ऑफ फिलोसोफी की उपाधि हेतु वायवा (मौखिक परीक्षा) उपरांत अधिसूचना जारी किया जाना	15
551		39.11- उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन	15
552		39.12- काशनमनी की वापसी	15
553		39.13- स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	15

554		39.14- चरित्र प्रमाण पत्र	15
555		39.15- दस्तावेजों का सत्यापन	15
556		39.16- संस्थान स्तर पर ब्रांच (शाखा) में बदलाव के लिए छात्रों के आवेदन पर निर्णय	15
557		39.17 डुप्लीकेट मार्कशीट सर्टिफिकेट (एससीव्हीटी)	15 दिवस
558		39.18 डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र	15 दिवस
559		39.19 चरित्र प्रमाण पत्र	05 दिवस
560	जल संसाधन विभाग	40.1- प्राकृतिक/शासकीय स्रोत से ओदयोगिक इकाईयों हेतु जल आबंटन	60
561	माध्यमिक शिक्षा मंडल	41.1- डुप्लीकेट मार्कशीट	अ.) 03 वर्ष तक के प्रकरणों में – 15 कार्य दिवस ब.) 03 वर्ष से अधिक के प्रकरणों में – 30 कार्य दिवस

562	41.2- अंकसूची में संशोधन	<p>नाम उपनाम में संशोधन अ.) चालू वर्ष का 15 कार्य दिवस ब.) 03 वर्ष से अधिक के प्रकरणों में 30 कार्य दिवस स.) एकरूपता का प्रकरण 30 कार्य दिवस द.) रिकॉर्ड के आधार पर 60 कार्य दिवस</p> <p>जन्म तिथि में सुधार अ.) चालू वर्ष का 60 कार्य दिवस ब.) 03 वर्ष से अधिक के प्रकरणों में 60 कार्य दिवस</p>
563	41.3- उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना	<p>परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, तथा प्रकरण के निराकरण हेतु 40 दिवस की समय सीमा नियत है।</p>

564		41.4- उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रतियां उपलब्ध कराना	परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, तथा प्रकरण के निराकरण हेतु 40 दिवस की समय सीमा नियत है।
565		41.5- कक्षा 1 से 8 तक अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया	45 कार्य दिवस
566		41.6- अशासकीय स्कूलों को सीबीएससी/आईसीएससी/अन्य बोर्ड से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया	120 कार्य दिवस
567		41.7- मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) (सी) के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत छात्रों की बजट उपलब्धता की स्थिति में धारा 12(2) के अनुसार फीस प्रतिपूर्ति की समय-सीमा को निर्धारित करने की योजना	30 कार्य दिवस
568	मदरसा बोर्ड (स्कूल शिक्षा विभाग)	42.1- मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता	DEO Login पर प्राप्त आवेदन दिनांक से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को ऑनलाइन प्रेषित करना। 45 कार्य दिवस में

569	42.2- मदरसा मान्यता का नवीनिकरण	DEO Login पर प्राप्त आवेदन दिनांक से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरिक्षण प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को ऑनलाइन प्रेषित करना I 45 कार्य दिवस में
570	42.3- समिति का पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्डकॉपी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने के पश्चात् समिति पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस

571		42.4- समिति का नवीनीकरण	<p>(अ) ऑनलाइन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्डकॉपी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने के पश्चात् समिति पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस</p> <p>(ब) बिंदु क्रमांक-अ के अंतर्गत पदधिकारी पूर्वानुसार नहीं होने की स्थिति में ठेहराव प्रस्ताव मांगने हेतु 30 कार्य दिवस</p> <p>(स) बिंदु क्रमांक-ब की कमी पूर्ति होने के उपरांत 30 कार्य दिवस</p>
572	वाणिज्य कर विभाग	43.1- वेट अधिनियम के तहत पंजीयन प्रदाय करना	1
573		43.2- वृत्ति कर अधिनियम के तहत पंजीयन प्रदाय करना	1
574	पंजीयन एवं मुद्रांक	44.1- दस्तावेजों को पंजीयन	24 घंटे (विधिक एवं तकनीकी अहर्ताओ की पूर्ति होने पर)

575	44.2- दस्तावेजों की नकल प्रदाय करना (ई-पंजीकृत दस्तावेज)	तत्काल आवेदन प्रस्तुतिकरण दिनांक पर ही (विधिक एवं तकनीकी अहर्ताओं की पूर्ती होने पर)
576	44.3- दस्तावेजों की नकल प्रदाय करना (भौतिक रूपेण पंजीकृत दस्तावेज)	7
577	खनिज साधन विभाग राँयल्टी क्लियसेंस सर्टिफिकेट	30
578	उत्खनन अनुज्ञा-पत्र (अस्थाई अनुज्ञा-पत्र)	15
579	पर्यावरण स्वीकृत के प्रकरणों में 500 मी. तक अन्य खदान न हो एवं अन्य जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र	15
580	प्रदेश में कर्षकों, ग्रामीण कारीगरों और श्रमिकों को निवास/गृह सुधार, कुओं के निर्माण एवं मरम्मत तथा अन्य कृषि कार्य के लिए गोण खनिज हेतु अभिवहन पास जारी करना	15
581	खानिपट्टा/समेकित अनुज्ञप्ति/गैर-विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञापत्र प्रदान करना	15-कार्य दिवस : विभाग द्वारा परिणाम प्राप्त होने के बाद सफल आवेदक को सूचित करने के लिए
582	नए पट्टे मामले में आशय पत्र जारी करना (पर्यावरण मंजूरी के लिए - श्रेणी बी-2 - (5 एकड़ से कम)	15 कार्य दिवस: वन विभाग , राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत से सैधांतिक सहमती की प्राप्ति के बाद
583	मिट्टी की खुदाई भराव हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	03 कार्य दिवस: वन, राजस्व, खनिज साधन विभाग और सम्बंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत निरिक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद

584		खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पत्र (रेत को छोड़कर)	03 कार्य दिवस संबंधित खनिज कार्यालय द्वारा जाँच प्रतिवेदन ई-खनिज पोर्टल पर अपलोड होने के पश्चात्
585	विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	45.1- भूमि आवंटन आवेदनों का निराकरण	60
586		45.2- आई.टी. प्रमाण पत्र के आवेदनों का निराकरण	60
587		45.3- पूंजी निवेश अनुदान का निराकरण	60
588		45.4- ब्याज अनुदान का निराकरण	60
589		45.5- कुशलता अन्तराल प्रशिक्षण व्यय अनुदान का निराकरण	60
590		45.6- प्रदर्शिनियों/आयोजनों पर व्यय अनुदान का निराकरण	45
591		45.7- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का निराकरण	45
592		45.8- ऐसे समस्त भुगतान जो अनुबंधित कार्यों/क्रय /सेवाओं से इतर हो	45
593		45.9- मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाईस या डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना (मान्य अनुमोदन श्रेणी अन्तर्गत अधिसूचित)	45
594	उद्यानिकी विभाग	46.1 - फल -पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना	15
595		46.2- बीज अधिनियम 1983 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना	15
596	मत्स्य विभाग	47.1 - मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सर्कुलर हेचरी की स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना	7
597		47.2- तालाबों में एरियेटर की स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना	7
598		47.3- मत्स्य बीज संवर्धन की इकाई स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना	7
599		47.4- पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त पट्टा आवंटन के प्रस्ताव पर हितग्राही की प्राथमिकता का निर्धारण करना	7

600	47.5- मछुआ सहकारिता समिति के गठन पश्चात पंजीयन हेतु अनुशंसा करना	7
-----	--	---